राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1 (54)परि/रआ/99/30473 जयपुर, दिनांक: 18/11/15

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 23 के अनुसरण मे महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान परिवहन सेवा में **दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी** के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते है। यह संगत तिथि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:-

क.सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्मतिथि
1.	831392	12	श्री भगवान कर्मचन्दानी	BC	27.08.1974
2.	822352	66	श्री मक्खन लाल जांगिड़	BC	03.01.1975

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्तियां एस.एल.पी. संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील सं. 2049-2053/2011) एवं रिट पिटीशन संख्या 6744/2008, 11200/2010, 5347/2015, 1085/2014 एवं डी.बी. स्पेशल संख्या 544/2015 एवं रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 (कैप्टेन श्री गुरविन्दर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. **इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।**
3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान परिवहन सेवा नियम 1979 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
7. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान परिवहन सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं हे तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को दिनांक 26.11.2015 को प्रातः 9:30 बजे आवश्यक रूप से (कमरा नं. 206, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर) प्रस्तुत करेंगे।
12. अभ्यर्थियों को दिनांक 26.11.2015 को प्रातः 9.30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी को आवश्यकता हो तो छात्रावास सुविधा दिनांक 25.11.2015 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।

13. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण–पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि कि ; अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण–पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान / संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

15. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 1(54)परि / स्था / 99 / 30475-30486 जयपुर, दिनांकः 18/11/15

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0) एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री..............................
11. निजी पत्रावली।
12. गोपनीय शाखा / संस्थापन शाखा / भुगतान शाखा।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु0)
एवं अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)